संख्याः 15 /I/2004-3(1)-2/2004

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा),
देहरादून।

ऊर्जा विभाग

देहरादूनः दिनांक 22 मार्च, 2005

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों के लिए वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3073/उरेडा/2004–05, दिनांक 14.03.05 एवं शासनादेश संख्या 88/I/2004-3(1)-2/2004, दिनांक 07.12.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उरेडा को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत रु0 4144.00 हजार संलग्न बी0एम0–15 के विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से एवं रु0 11923.00 हजार संगत मद से सौलर थर्मल कार्यक्रम हेतु रु0 1048.00 हजार, सौलर फोटो वोल्टाईक कार्यक्रम हेतु रु0 3096.00 हजार, लघु जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम हेतु रु0 5000.00 हजार एवं अन्य कार्यक्रम हेतु रु0 6923.00 हजार **कुल योग रु0 1,60,67,000.00** (रू0 एक करोड साठ लाख सडसठ हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. स्वीकृत धनराशि की फॉट निदेशक, उरेडा द्वारा की जाएगी एवं शासन को भी उपलब्ध करायी जाएगी। जनपदों को फॉट के अनुसार आवंटित धनरशि के अधीन उरेडा द्वारा बीजक तैयार कर जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर कर कोषागार से आहरित की जायेगी एवं मुख्यालय हेतु आवंटित धनराशि जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर से देहरादून कोषागार से आहरित की जायेगी।
2. व्यय करने से पूर्व योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज तथा शासन के मितव्ययता के विषय में आदेश व तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जाएगा। उपकरणों आदि का क्रय डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर और ये दरें न रहने की स्थिति में टैण्डर/कोटेशन विषयक वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र, कार्यों की सूची एवं योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की सूची एवं योजनावार व्यय विवरण एवं योजनाओं की वित्तीय/भौतिक प्रगति आदि का विवरण आगामी किश्त अवमुक्त कराये जाने के प्रस्ताव के साथ कराया जायेगा। केन्द्र पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भी प्रेषित किया जायेगा। केन्द्र पोषित योजनाओं में राज्यांश अवमुक्त किये जाने के बाद केन्द्रांश के लिये तत्काल प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
4. व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय निर्माण ऐजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

....2

6. अविद्युतीकृत क्षेत्रों में राजकीय विद्यालयों में स्थापित कम्प्यूटर्स के लिये सोलर पावर जनरेटर ही स्वीकृत किये जायेंगे यदि उक्त विद्यालय में कम्प्यूटर उपलब्ध करा दिया गया हो एवं उनमें कम्प्यूटर के संचालन हेतु विभागीय बजट (शिक्षा विभाग या आई0टी0 विभाग) द्वारा कोई विद्युत जनरेटर आदि स्वीकृत न किया गया हो। यदि जनरेटर (विद्युत) पूर्व से स्वीकृत है तो वहां सोलर जनरेटर नहीं दिया जायेगा।
7. उक्त योजना पर उक्त धनराशि अवशेष राज्यांश के विपरीत अवमुक्त की जा रही है और शेष राज्यांश/केन्द्रांश तब ही अवमुक्त किया जायेगा, जब केन्द्र सरकार द्वारा अपने अंश के विपरीत अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गई हो। केन्द्र पोषित योजनाओं में धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2005 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा अन्यथा सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर का ही उत्तरदायित्व माना जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे उक्त तिथि तक समर्पित कर दिया जायेगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण किया जायेगा।
10. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -21 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक 2810-वैकल्पिक ऊर्जा-आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदो के नामें डाला जाएगा।

2-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 924/वि0अनु0-3/2004, दिनांक 21 मार्च, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या:88/1/2004-3(1)-2/2004, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, देहरादून।
4. श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
5. सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, उत्तरांचल शासन/एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
6. वित्त अनुभाग-3, उत्तरांचल शासन।
7. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

शासनादेश सं0 1> /I/2004-3(1)-2/2004, दिनांक 22 मार्च, 2005 का संलग्नक

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	धनराशि	विवरण
1–	2810–वैकल्पिक ऊर्जा–02–सौलर एनर्जी–आयोजनागत–101–सोलर थर्मल कार्यक्रम–03– सौलर एनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	1048	रु0 928.00 हजार सोलर वाटर हीटर। रु0 120.00 हजार सामुदायिक सोलर कुकर।
2–	2810–वैकल्पिक ऊर्जा–02–सौलर एनर्जी–आयोजनागत–102–सौलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम –03–सौलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता–0301–उरेडा के लिये अनुदान–20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3096	सोलर पावर जनरेटर्स।
3–	2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्रोत आयोजनागत–800–अन्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अंशपोषित–01–लघु जल विद्युत एवं सुधारित घराट योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता	5000	माईक्रो हाईडिल संयत्रों की स्थापना।
4–	2810–वैकल्पिक ऊर्जा–60–ऊर्जा के अन्य स्रोत–800–अन्य–03–प्रशासनिक व्यय–01–उरेडा के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान /अंशदान/राज सहायता	6923	रु0 6923.00 हजार राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क।
	योगः–	16067	

(धनराशि रु0 एक करोड साठ लाख सडसठ हजार मात्र)

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

बी0एम0–15

पुनर्विनियोग 2004–2005 आयोजनागत अनुदान सं0–21

नियन्त्रक अधिकारी–सचिव–ऊर्जा विभाग

(रु0 हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2801–वैकल्पिक ऊर्जा–01–बायो ऊर्जा–आयोजनागत–103–जैवपिण्ड–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अशपोषित–0101–उरेडा के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता 4502	–	358	4144(क)	2810– वैकल्पिक ऊर्जा–02–सोलर इनर्जी–आयोजनागत–101–सोलर थर्मल कार्यक्रम–03–सोलर इनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता–00–20–सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता 1048(ख)	1298		(क) आवश्कता न होने के कार[illegible]
				2810– वैकल्पिक ऊर्जा–02–सोलर इनर्जी–102–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यकम–03– सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यकम हेतु उरेडा को सहायता–0301–उरेडा के लिये अनुदान–20–सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता 3036(ग)	20936	358	(ख) मा0 मुख्यमंत्री जी की घो[illegible] के कियान्वयन हेतु आवश्यकता बजट प्राविधान से अधिक होने कारण। (ग) अविद्युतीकृत राजकीय विद्यालय जिनको कम्प्यूटर दि[illegible] गया है उन्हें आवश्यकता के क[illegible]
योग– 4502	–	358	4144	4144	22234	358	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155,156 में उल्लिखित सामाओं का एवं प्राविधानो का उल्लघन नहीं होता है।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3
संख्या: 924(1)/वि0अनु–3/2004
देहरादून: दिनांक: 21 मार्च, 2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(टी.एन. सिंह)
अपर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग
माजरा, देहरादून।

संख्या: 13/1/2005-03(1)/02/04, दिनांक 22 मार्च, 2005

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

2– वित्त अनुभाग–3

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव